खंड दो : भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य और परिचालन

VIII मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी परिचालन

8.1 2001-02 के दौरान 1997 से अपनाई गई अवस्थिति को जारी रखते हुए भारत में मौद्रिक नीति निवेशगत मांग को पुनर्जीवित करने में सहायता करने के प्रति वचनबद्ध है । रिज़र्व बैंक की मुख्य ब्याज दरों और नकदी प्रारक्षित अनुपात में क्रमिक कटौती के माध्यम से घटती हुई ब्याज दरों के लिए नीतिगत वरीयता और सहज चलनिधि स्थितियां उभर कर सामने आईं (चार्ट VIII.1)। प्रणाली में मुख्य नियंत्रित ब्याज दरों में विशेषकर लघु बचत योजनाओं में की गई कटौतियों से उत्पन्न लचीले वातावरण के द्वारा नीतिगत पहलों से बाजार प्रतिसाद को सुभीता हुई । औद्योगिक क्रियाकलापों के ऋण की महत्ता को देखते हुए, ऋण उपलब्धता में वृद्धि और ऋण प्रवाह के माध्यमों में सुधार ने नीतिगत प्राथमिकता प्राप्त कर ली है । नीतिगत खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) के साथ-साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) अल्पकाल में मौद्रिक नीति के प्रधान परिचालन प्रक्रिया के रूप में विकसित हो गई है ताकि अर्थव्यवस्था की वास्तविक ऋण आवश्यकताओं की मांग के अनुसार पर्याप्त चलनिधि की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके । वर्ष के दौरान प्रौद्योगिकी तथा संस्थागत संरचनाओं समेत वित्तीय बाजार के सुव्यवस्थित विकास और वित्तीय क्षेत्रों के सुधारों को आगे बढ़ाया गया । यद्यपि मुद्रास्फीति सहज हुई है, फिर भी विशेषतः वर्ष के उत्तरार्द्ध में कीमतों में स्थिरता बनाये रखना मुख्य मुद्दा बना रहा । आम तौर पर मौद्रिक नीति का बल मुद्रास्फीतिगत सम्भावनाओं में अदृश्य बदलाव और अनिश्चित अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में बाहरी झटकों के जोखिम के प्रति सावधानी पर रहा ।

8.2 औद्योगिक विकास और निर्यात के संभावित पुनर्जीवन और कृषि की अनुकूल सम्भावनाओं के आधार पर वास्तविक सकल देशी उत्पाद में 6.0 से 6.5 प्रतिशत की वृद्धि के भावी अनुमान के

चार्ट VIII.1 : मौद्रिक नीति के संकेतक - 2001-02

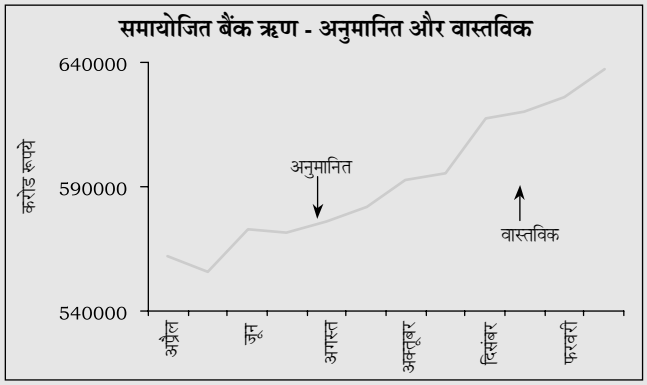

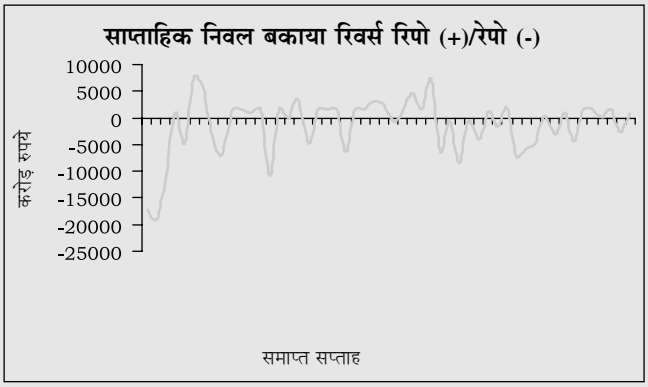

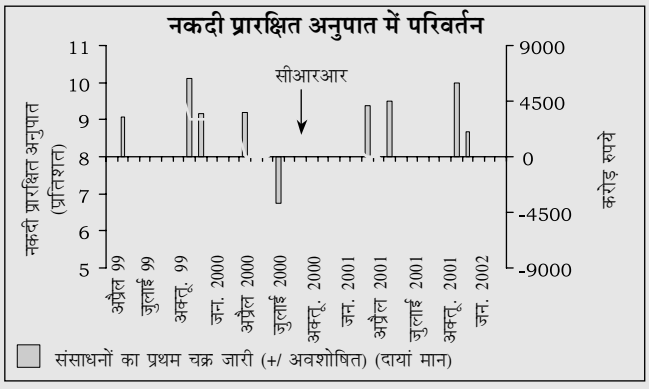

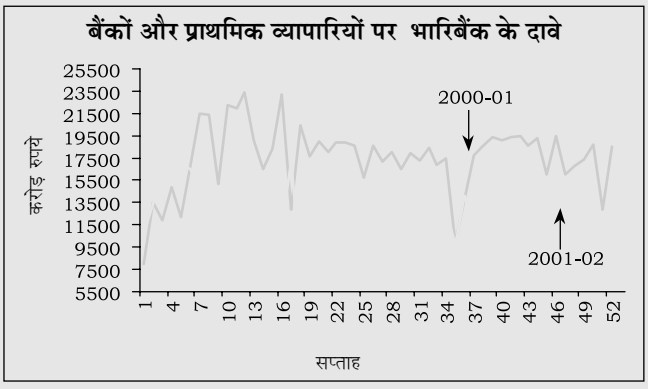

संदर्भ में अप्रैल 2001 में वर्ष 2001-02 की मौद्रिक और ऋण नीति बनाई गई। राजकोषीय घाटा सकल देशी उत्पाद का 4.7 प्रतिशत निर्धारित किया गया था जो सरकारी उधार कार्यक्रम का प्रारंभिक अनुमान उपलब्ध कराता है। चालू खाता घाटा भुगतान संतुलनों में सकल देशी उत्पाद के 2 प्रतिशत के अंदर रहने की संभावना है। वैश्विक मंदी के गहराने के साथ, वर्ष के पूर्वार्द्ध में निर्यात में गिरावट आई और औद्योगिक सुधार होने के कारण वास्तविक सकल देशी उत्पाद में वृद्धि के अनुमान को अक्तूबर 2001 की मध्यावधि समीक्षा के 6.0 से संशोधित करके 5.0 प्रतिशत कर दिया गया। मुद्रास्फीति दर के 5 प्रतिशत के भीतर बने रहने का अनुमान लगाया गया। व्यापक मुद्रा में 14.5 प्रतिशत के विस्तार का अनुमान लगाया गया जो कुल जमाओं में वृद्धि की गति के बराबर था। तदनुसार गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश सहित खाद्येतर बैंक ऋण में 16.0 से 17.0 प्रतिशत तक की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया जो कुल मांग में वृद्धि को समायोजित करने के पर्याप्त होगी, ऐसी प्रत्याशा की गयी थी। इन सार संकेतों के अतिरिक्त, भारत में मौद्रिक नीति के संचालन को नियंत्रित करने के लिए अपनाई गई बहु संकेतक दृष्टिकोण के तहत अनेक समष्टिगत आर्थिक और वित्तीय परिवर्तियों की निगरानी की गई जिसके द्वारा नीतिगत परिदृश्य निर्धारण के लिए मात्रा और दर दोनों परिवर्तियों पर उच्च आवृत्तिगत आंकड़ों को उत्पाद आंकड़ों के साथ-साथ रखा जाता है। इन मुख्य संकेतकों की प्रवृत्ति मोटे तौर पर अनुमानों/अपेक्षाओं के अनुरूप थी (सारणी 8.1)।

सारणी 8.1: 2001-02 के लिए अनुमानित और वास्तविक संकेतक

संकेतक	अपेक्षित	वास्तविक
1	2	3
वास्तविक सकल देशी उत्पाद वृद्धि (प्रतिशत)	5.0-6.0 *	5.4 #
थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर (औसत आधार) (प्रतिशत)	प्रतिशत 5.0 के अंदर	3.6
चालू खाता घाटा (सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत रूप में)	के पर्याप्त अंदर 2.0	+ 0.3 @
व्यापक मुद्रा वृद्धि (प्रतिशत)	14.5	14.2 अ
वाणिज्यिक बैंक जमा वृद्धि (प्रतिशत)	14.5	14.6
खाद्येतर ऋण में वृद्धि (प्रतिशत) वा. बैंक समायोजित	16.0-17.0	12.7 अ

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के संशोधित अनुमान
* अक्तूबर 2001 में संशोधित
अ. अनंतिम
@ + अधिशेष को दर्शाता है।

8.3 वर्ष के दौरान, मौद्रिक नीति की भावनाओं के प्रसार में सुधार लाने के लिए प्रयासों को सघन किया गया। बाजार भागीदारों को बेहतर परिचालनगत लचीलापन प्रदान करने और चलनिधि समायोजन सुविधा को चलनिधि समायोजन के मुख्य साधन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से मौद्रिक नीति की परिचालन विधि को न केवल चलनिधि के खपाने/जारी करने के माध्यम से, बल्कि, अल्पावधि मुद्रा बाजार के लिए मुख्य ब्याज दर संकेत के रूप में और ज्यादा परिष्कृत किया गया। इन परिवर्तनों में स्थायी चलनिधि सुविधाएं, निर्यात ऋण पुनर्वित्त, नकदी प्रारक्षित अनुपात के तहत आवश्यक प्रारक्षित अपेक्षाएं और चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत नीलामी प्रक्रियाएं शामिल हैं। वर्ष 2001-02 के दौरान बाज़ार में चल रही अनिश्चितता की भावना को रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक चलनिधि का सीधा निवेश करके प्रभावहीन बना दिया।

मौद्रिक नीति परिचालन

ब्याज दर नीति

बैंक दर

8.4 मौद्रिक नीति की स्थिति का संकेत फरवरी और मार्च 2001 में बैंक दर में दो बार प्रत्येक बार 50 आधार बिंदु तक क्रमिक कटौतियों के रूप में मिला। औद्योगिक गतिविधियों और निर्यात में आगे हुई और गिरावट के चलते, 23 अक्तूबर 2001 से बैंक दर और 50 आधार अंक घटाकर 6.50 प्रतिशत कर दी गयी, जो कि मई 1973 के बाद से इसका न्यूनतम स्तर रहा। 2002-03 के मौद्रिक नीति संबंधी वक्तव्य में 50 आधार अंकों तक की भावी कटौती किये जाने का संकेत किया गया था, बशर्ते समग्र ऋण तथा चलनिधि स्थिति द्वारा ऐसा अपेक्षित हुआ और यदि मुद्रास्फीति दर निरन्तर निम्न बनी रही। हाल की अवधि में प्रमुख नियंत्रित ब्याज दरों में कमी करके नमनीय ब्याज दर परिवेश निर्मित किया गया है (चार्ट VIII.2)।

चार्ट VIII 2 :अल्पबचत योजनाओं पर नियंत्रित ब्याज दरें

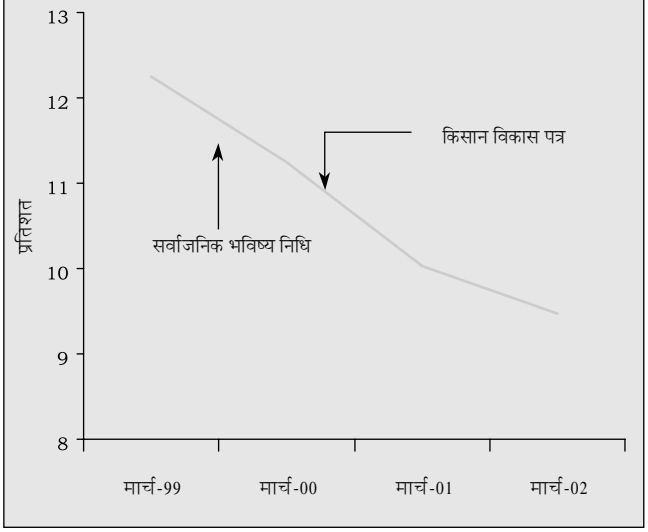

रिपो दरें

8.5 रिपो दरें मार्च 2001 के दौरान 3,952 करोड़ रु. की तुलना में अप्रैल 2001 के दौरान 10,968 करोड़ रु. के दैनिक औसत/रिपो बकाया राशि के रूप में सुखद चलनिधि स्थितियां दिखाई दीं। इसके फलस्वरूप 27 अप्रैल, 2001 को रिपो दर 7 प्रतिशत से घटकर 6.75 प्रतिशत हो

गई। चूंकि चलनिधि स्थितियां मई 2001 के दौरान सुगम हो गईं, इसलिए रिपो निर्दिष्ट सीमा दर 28 मई, 2001 को पुनः 25 आधार अंक घटाकर 6.50 प्रतिशत कर दी। वस्तुतः इसके बाद चलनिधि स्थितियां पूरे वर्ष सुगम बनी रहीं, सितम्बर, अक्तूबर तथा नवम्बर में कुछ थोड़े अंतरालों को छोड़कर, जब रिज़र्व बैंक द्वारा रिवर्स रिपो के माध्यम से चलनिधि का निवेश किया गया। 5 मार्च 2002 तक अधिकतम रिपो दर 6.5 प्रतिशत पर बनी रही। लघु बचत ब्याज दरों में गिरावट की पृष्ठभूमि में रिज़र्व बैंक ने रातभर के लिए 6.0 प्रतिशत की दर पर रिपो नीलामी करके 5 मार्च 2002 को रिपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती का संकेत दिया, जो कि अनुवर्ती चलनिधि समायोजन सुविधा की नीलामियों में तब तक जारी रही जब तक 27 जून 2002 को इसे 25 आधार अंक और घटाकर 5.75 प्रतिशत नहीं कर दिया गया।

उधार और जमा दर

8.6 ब्याज दर की नीति दर संरचना पर ज्यादा लचीलापन लागू करने पर केंद्रित रही है ताकि ब्याज दरें घरेलू आर्थिक गतिविधियों के व्यवहार और अंतर्राष्ट्रीय समष्टि अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थितियों के अनुरूप विकसित हो सकें। बैंकों को उनकी मूल उधारी दर (पीएलआर) के अधिकतम दायरे में कमी करने के लिए सूचित किया गया ताकि उधार लेने वालों को वाजिब ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध हो सके। ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए उन्हें अपनी मूल उधारी दर की घोषणा के साथ-साथ विभिन्न परिपक्वता अवधियों की जमा दरों पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए उनसे मूल उधारी दर के ऊपर अधिकतम दायरे की घोषणा करना अपेक्षित है। बैंकों से यह भी अपेक्षा की गयी है कि वे जमाकर्ताओं को मिलने वाले वार्षिक प्रतिलाभ और अपने उधार लेने वालों पर प्रभारित अधिकतम और न्यूनतम ब्याज दर की जानकारी दें। इसके अतिरिक्त, बैंकों से यह अनुरोध किया गया कि वे उधार लेने वालों को प्रसंस्करण प्रभार, सेवा प्रभार की स्पष्टतया घोषणा करते हुए उधार लेने वालों के लिए "सकल लागत" की अवधारणा की ओर बढ़ें। जहाँ तक जमा दरों का संबंध है समस्त नई जमाराशियों के लिए बैंकों को लचीली ब्याज प्रणाली शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जिसे छमाही अंतराल पर पुनः संशोधित किया जा सकता है, जबकि जमाकर्ताओं को निश्चित दर का विकल्प भी उपलब्ध होना चाहिए। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि वे पहले से चल रही जमा की अवधि के लिए जमाकर्ताओं को संविदा दर पर भुगतान करें, यदि उसी जमाराशि का नवीकरण परिवर्तनीय दर पर किया जाता है, तो समयपूर्व आहरण के लिए लगाए जाने वाले दंड को छोड़ दिया जाए। सहकारी बैंकों को प्रतिस्पर्धी माहौल में और लोच प्रदान करने के उद्देश्य से समस्त सहकारी बैंकों के लिए न्यूनतम उधारी दर (एमएलआर) की शर्त को हटा दिया गया है।

8.7 ब्याज दरों को क्रमिक रूप से अपविनियमित करने के कारण, बैंकों को अपनी जमा और उधारी दरों की संरचना करने में पर्याप्त लोच प्राप्त हुई है। बचत जमाओं, जिनपर कि ब्याज दर 4 प्रतिशत निश्चित है, को छोड़कर बैंक एक आधार दर से जोड़कर स्थिर और सचल दरें प्रस्तावित करने के लिए स्वतंत्र हैं। अप्रैल 2001 के नीति संबंधी वक्तव्य में, उन्हें वरिष्ठ नागरिकों के लिए सावधि जमा योजना पर किसी भी आकार की सामान्य जमा राशियों की तुलना में उच्चतर ब्याज दर देने की अनुमति दी गई थी। उधार देने की दृष्टि से, बैंक विभिन्न अवधियों के लिए अपनी मूल उधारी दर (पीएलआर) रखने के लिए स्वतंत्र हैं। साथ ही वे उप-मूल उधारी दर भी लगा सकते हैं। वास्तव में अप्रैल 2001 की नीति सम्बंधी घोषणा के बाद, 2 लाख रुपये से ऊपर के ऋणों के लिए न्यूनतम दर के रूप में मूल उधारी दर (पीएलआर) का अस्तित्व समाप्त हो गया, यद्यपि इसकी आधारीय भूमिका को मानते हुए, इसका परिचालन 2 लाख रु. तक के ऋण की उच्चतम सीमा के रूप में जारी रहा।

निर्यात ऋण पर ब्याज दरें

8.8 निर्यात में मंदी की प्रवृत्ति को पलटने को दी गयी प्राथमिकता निर्यात ऋण पर ब्याज की संरचना को युक्तिसंगत बनाने में दिखाई पड़ी। बैंकों से यह अपेक्षित था कि वे रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर मूल उधारी दर से संयोजित करके समस्त श्रेणियों के लिए उच्चतम दर के रूप में दर्शायें। 180 दिनों तक के लिए पोतलदान-पूर्व ऋण के लिए ब्याज की उच्चतम दर मूल उधारी दर से 150 आधार बिन्दु निम्न रखी गयी। सितम्बर 2001 में, निर्यात ऋण पर उच्चतम दर को सभी निर्यातों के लिए और 100 आधार अंकों तक कम कर दिया गया। इसमें यह प्रावधान रखा गया कि सितंबर 2002 के बाद उच्चतम दर को 100 आधार अंक तक ऊर्ध्वमुखी समायोजित किया जाएगा। निर्यात आय पर वायदा प्रीमियम के लिए समायोजित प्रभावी ब्याज दरों में लगभग 2-3 प्रतिशत की गिरावट आयी और तदनुसार, मूल उधार दर से रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर को पृथक् करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

8.9 अप्रैल 2001 की नीति संबंधी घोषणा में विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण की उच्चतम दर को लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट (लिबोर) से ऊपर की दर को 50 आधार अंक तक और घटाकर लिबोर के ऊपर 100 आधार अंक कर दिया गया। ब्याज दरों को और भी प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से, अप्रैल 2002 के नीतिगत वक्तव्य में विदेशी मुद्रा ऋणों पर उच्चतम दर को और घटाकर लिबोर+ 75 आधार अंक कर दिया गया।

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) ब्याज दरें

8.10 विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक जमाराशियों पर ब्याज दरें अप्रैल 2001 में 50 आधार अंक नीचे करके संशोधित की गई और तदनुरूप परिपक्वताओं के लिए उन्हें लिबोर/स्वैप की दरों पर निर्धारित किया गया। अप्रैल 2002 की नीति घोषणा में, तदनुरूप परिपक्वताओं के लिए इन्हें और घटाकर लिबोर / स्वैप(-) 25 आधार अंक तक कम कर दिया गया।

नकदी प्रारक्षित अनुपात

8.11 रिज़र्व बैंक अपने मध्यावधि उद्देश्य नकदी प्रारक्षित अनुपात को घटाकर इसके सांविधिक न्यूनतम स्तर 3.0 प्रतिशत तक लाने का अनुसरण कर रहा है। इसके लिए अगस्त 1998 के 11.0 प्रतिशत नकदी प्रारक्षित अनुपात को क्रमिक रूप से घटाकर मई 2001 में 7.5 प्रतिशत तक लाया गया। अक्तूबर 2001 की मध्यावधि समीक्षा में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर] का नकदी प्रारक्षित अनुपात उनकी

निवल मांग और मीयादी देयताओं के 200 आधार अंक घटाकर 5.5 प्रतिशत कर दिया गया । (नकदी प्रारक्षित अनुपात बनाये रखने की आवश्यकता के लिए) निवल मांग और मीयादी देयताओं की गणना करने हेतु अंतर-बैंक देयताओं को छोड़कर देयताओं पर सभी छूटों को 3 नवम्बर 2001 से आरंभ हो रहे पखवाड़े से समाप्त कर दिया गया हैं । अप्रैल 2002 में की गयी वार्षिक नीति संबंधी वक्तव्य में, नकदी प्रारक्षित अनुपात में 50 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की गई, जिससे इसे 15 जून 2002 के आरंभ से 5.0 प्रतिशत पर लाया जाना था । चलनिधि स्थितियों की समीक्षा पर नकदी प्रारक्षित अनुपात में कटौती की तारीख को और पहले करके 1 जून 2002 कर दिया गया । नकदी प्रारक्षित अनुपात का प्रयोग अन्य लिखतों के अलावा चलनिधि प्रबंधन के लिए दोनों ओर होना जारी रहेगा ।

8.12 21 अप्रैल, 2001 से, नकदी प्रारक्षित अनुपात के तहत पात्र शेष राशियों पर देय ब्याज दर बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दी गयी ताकि यह मध्यावधि उद्देश्यों के अनुसार बैंक दर के अनुरूप हो सके । इसके पश्चात, अक्तूबर, 2001 की मध्यावधि समीक्षा में नकदी प्रारक्षित अनुपात के पात्र नकदी शेषों की गणना बैंक दर पर की जाती है । 11 अगस्त 2001 से 15 दिन से एक वर्ष की मूल परिपक्वता अवधि वाली अंतर बैंक मीयादी देयताओं को 3.0 प्रतिशत के निर्धारित न्यूनतम नकदी प्रारक्षित अनुपात से छूट प्राप्त है ।

चलनिधि समायोजन सुविधा

8.13 हाल के वर्षों में चलनिधि तथा ब्याज दर संकेतों को अधिक लचीले स्वरूप में संप्रेषित करने के लिए रिज़र्व बैंक समर्थ हो सके, इसके लिए मौद्रिक प्रबंध का जोर मौद्रिक नीति के अप्रत्यक्ष साधनों के विकास की तरफ बढ़ा है । दैनिक रिपो और रिवर्स रिपो नीलामियों के माध्यम से परिचालित होने वाली, चलनिधि समायोजन सुविधा के उद्देश्य से प्रणाली में मुख्य रूप से दैनंदिन चलनिधि असंतुलन को दूर करना, परंतु प्रतिभागियों की निधि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना नहीं, अल्पावधि मुद्रा बाजार दर में उतार-चढ़ाव को सीमित करना और इन दरों को मौद्रिक नीति के उद्देश्यों के अनुरूप संचालित करना है ।

8.14 8 मई 2001 से आरंभ हुए चलनिधि समायोजन सुविधा के दूसरे चरण में, चलनिधि समायोजन सुविधा की परिचालन विधि को और युक्तिसंगत बनाया गया। चलनिधि समायोजन सुविधा नीलामी में लघु स्तरीय आपरेटरों को भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए बोली की मात्रा 10 करोड़ रु. से घटाकर 5 करोड़ रु. कर दी गई । अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण बोली सुनिश्चित करने के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा का नीलामी फार्मेट एकसमान कीमत नीलामी विधि से बदलकर विविध कीमत नीलामी विधि कर दिया गया है (सारणी 8.2) । चलनिधि समायोजन सुविधा नीलामियों का समय 30 मिनट पहले कर 10.30 बजे प्रातः कर दिया गया ताकि चलनिधि समायोजन सुविधा नीलामी में असफल हुए बोलीकर्ताओं को अल्पावधि मुद्रा बाजार में अपनी स्थिति की क्षतिपूर्ति करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके । रिपोर्टिंग पखवाड़े के दौरान संचयी आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक के पास रखे कुल नकदी जमा शेष की सूचना के प्रचार-प्रसार की प्रणाली इस उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी ताकि बाजार की अपेक्षाओं को स्थिर किया जा सके और मांग दरों के उतार चढ़ाव में कमी आ सके । रिज़र्व बैंक के पास और अधिक परिचालनात्मक नमनीयता प्रदान करने के लिए 14 दिन तक की दीर्घावधि रिपो शुरू करने का विकल्प है और रात्रिभर के लिए स्थिर दर रिपो अपनाने का विकल्प भी है । 15 फरवरी 2002 से सौदाकृत लेन-देन प्रणाली (एनडीएस) के सदस्य भौतिक रूप के बजाय इलेक्ट्रानिक रूप में चलनिधि समायोजन सुविधा की बोलियां प्रस्तुत करने लगे हैं ।

8.15 मध्यावधिक उद्देश्य क्रमिक रूप से संपूर्ण चलनिधि सुविधा की तरफ बढ़ना और विभिन्न क्षेत्र-विशेषों के पास स्थायी चलनिधि सुविधाओं की पद्धति को समाप्त करना है । इस उद्देश्य के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाओ को युक्तियुक्त बनाने के साथ समकालिक रूप में चलनिधि समायोजन सुविधा के नए चरण का प्रवर्तन किया गया। अभी तक संशोधित परिचालन प्रक्रिया में अंतरण सुचारू रूप से चला है (चार्ट VIII.3) ।

8.16 8-23 मई 2001 के दौरान रिवर्स रिपो नीलामी के जरिए चलनिधि की उपलब्धता के जरिए चलनिधि समायोजन सुविधा के नए परिचालन तंत्र की ओर संक्रमण सुगम हुआ है । इस अवधि के दौरान स्वीकृत रिवर्स रिपो का दैनिक औसत लगभग 2,699 करोड़ रुपया और रिवर्स रिपो का दैनिक बकाया 50 करोड़ रुपये से 6,215 करोड़ रु. के रेंज में रहा (चार्ट VIII.4) ।

सारणी 8.2 : चलनिधि समायोजन सुविधा का विकास

कब से प्रभावी	उपाय
1	2
21 अप्रैल 1999	रिज़र्व बैंक ने रिपो के माध्यम से अंतरिम चलनिधि समायोजन सुविधा (आइएलएएफ) और भारत सरकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियों को जमानत पर ऋण देने की शुरुआत करने की घोषणा की।
5 जून 2000	बैंको के लिए अतिरिक्त जमानती उधार सुविधा (एसीएलएफ) और प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को स्तर II की सहायता की जगह एक सम्पूर्ण चलनिधि समायोजन सुविधा शुरू की गयी जो उसी दिन निपटान के साथ परिवर्ती दर रिपो/ रिवर्स रेपो नीलामियों के द्वारा संचालित होती है।
8 मई 2001	5 मई 2001 से स्थायी चलनिधि सुविधाओं को सामान्य और बैक स्टॉप घटको के रूप में विभाजित कर दिया गया है जहाँ सामान्य सुविधा-बैंक दर पर उपलब्ध है । एकसमान कीमत नीलामी फार्मेट की जगह विविध कीमत नीलामी फार्मेट को लाया गया। चलनिधि समायोजन सुविधा नीलामी का और परिणाम घोषित करने का समय 30 मिनट पहले कर दिया गया। चलनिधि समायोजन सुविधा के लिए न्यूनतम बोली की मात्रा 10 करोड़ रु. से घटाकर 5 करोड़ रु. कर दी गई। रिज़र्व बैंक को रात्रिभर के लिए निश्चित दर रिपो में अंतरण तथा दीर्घावधि रिपो शुरू करने के अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराए गए ।

चार्ट VIII.3 : चलनिधि समायोजन सुविधा का विकास

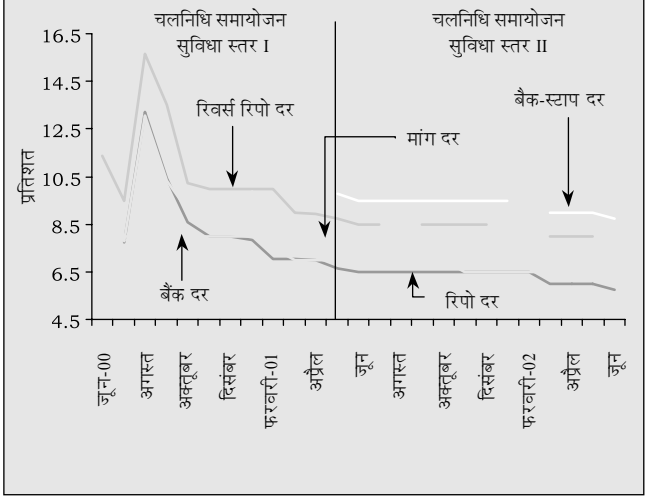

चार्ट : VIII.4 : चलनिधि समायोजन सुविधा और औसत भारित मांग दरों के अंतर्गत रिपो, रिवर्स रिपो नीलामियां -

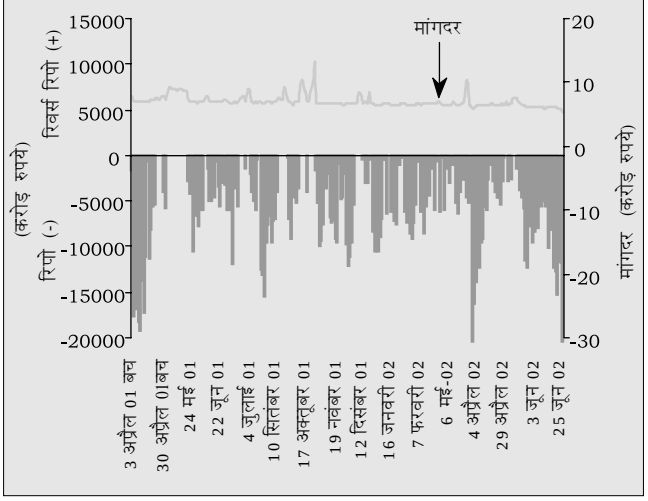

8.17 बाद की अवधि में 24 मई 2001 से विद्यमान चलनिधि स्थिति के आधार पर चलनिधि समायोजन सुविधा के परिचालनों को तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे चरण I (24 मई 2001 से 15 अक्तूबर 2001 तक), चरण II (16 अक्तूबर 2001 से 2 नवंबर 2001 तक) और चरण III (3 नवंबर 2001 से आगे) ।

8.18 इस संक्रमण के बाद 19 मई 2001 से प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में 50 आधार अंक की कटौती करने के कारण जारी की गई लगभग 4,500 करोड़ रुपये की चलनिधि से सहज चलनिधि दशाओं की अवधि शुरू हुई । चरण I (24 मई 2001 से 15 अक्तूबर 2001) की सहज चलनिधि के दौरान मांग मुद्रा दर सामान्यतः स्थिर बनी रही और रिपो एवं रिवर्स रिपो दरों के दायरे घटते-बढ़ते रहे । आमतौर पर चलनिधि समायोजन सुविधा द्वारा प्रदत्त मांग मुद्रा दर कुछ अल्पावधियों को छोड़कर अनौपचारिक दायरे में, पूरे वर्ष प्रभावी रही । सामान्यतः बोलियां पूर्ण रूपेण स्वीकार की गईं, परन्तु कुछ अवसरों पर जब मांग दर कुछ महंगी पाई गई तब रिपो बोलियां आंशिक रूप में स्वीकार की गईं (सारणी 8.3) । इस अवधि के दौरान औसत दैनिक रिपो बकाया की

सारणी 8.3 चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो / रिवर्स रिपो बोलियों की स्वीकृति / अस्वीकृति

अवधि	रिपो बोलियां				रिवर्स रिपो			
	बोलियां प्राप्त होने के दिनों की संख्या	सभी बोलियां अस्वीकृत दिनों की संख्या	बोलियों की पूर्ण स्वीकृति दिनों की संख्या	बोलियों की आंशिक स्वीकृति दिनों की संख्या	बोलियां प्राप्त दिनों की संख्या	सभी बोलियां अस्वीकृत दिनों की संख्या	बोलियों की पूर्ण स्वीकृति दिनों की संख्या	बोलियों की आंशिक स्वीकृति दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2001								
अप्रैल	17	2	14	1	3	1	1	1
मई	12	4	5	3	13	1	0	12
जून	13	1	11	1	3	1	1	1
जुलाई	10	0	6	4	6	0	6	0
अगस्त	10	1	9	0	0	0	0	0
सितंबर	6	0	6	0	4	2	1	1
अक्तूबर	10	2	8	0	8	1	1	6
नवंबर	17	0	17	0	2	0	0	2
दिसंबर	12	2	10	0	5	1	3	1
2002								
जनवरी	21	0	21	0	0	0	0	0
फरवरी	20	3	17	0	1	0	1	0
मार्च	16	11	0	5	2	0	2	0
अप्रैल	20	0	15	5	1	0	1	0
मई	12	1	2	9	2	1	1	0
जून	20	0	8	12	0	0	0	0
जुलाई	23	0	4	19	0	0	0	0

राशि लगभग 4,534 करोड़ रुपये और दैनिक रिपो बकाया राशि की सीमा 5 करोड़ रुपये से 15,500 करोड़ रुपये के बीच रही ।

8.19 चरण II (16 अक्तूबर 2001 से 2 नवंबर 2001 तक) के दौरान 10 अक्तूबर 2001 को राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के विपणन के कारण अल्पावधि के लिए चलनिधि स्थिति काफी कुछ तंग थी । इस अवधि के दौरान मांग मुद्रा दरों की उछाल को सीमित रखने के लिए रिवर्स रिपो नीलामियों का प्रयोग किया गया । इस अवधि के दौरान औसतन दैनिक रिवर्स रिपो बकाया राशि 30 करोड़ रुपये से 9,525 करोड़ रुपये तक की सीमा में लगभग 3,619 करोड़ रुपये रही ।

8.20 भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की प्राप्तियों, 3 नवंबर 2001, 29 दिसंबर 2001 और 1 जून 2002 को प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कटौती और सरकारी खातों में अधिक आहरण की स्थिति से चरण III (3 नवंबर 2001 से 31 जुलाई 2002 तक) में बाजार में अत्यधिक चलनिधि रही । सहज चलनिधि स्थितियों को देखते हुए 5 नवंबर 2001 को नियमित रिपो नीलामियों के अलावा पाक्षिक रिपो नीलामियां शुरू की गईं । यद्यपि केवल कुछ ही अवसरों पर बोलियां स्वीकार की गई । प्रणाली में चलनिधि की सुलभता को देखते हुए 4 मार्च 2002 तक एक दिवसीय रिपो बोलियां सामान्यतः पूर्ण रूपेण स्वीकार की गईं । 5 मार्च 2002 को रातभर के परिचालनों के लिए नियत दर रिपो की शुरुआत की गई जिससे रिपो दर में 50 आधार अंक की कटौती का संकेत मिला । 1 जून 2002 में प्रभावी प्रारक्षित नकदी निधि में कटौती से 27 जून 2002 को रिपो दर में 25 आधार अंक की और गिरावट आई और वह 5.75 प्रतिशत हो गया । पाक्षिक रिपो में, जून-जुलाई 2002 के दौरान स्वीकृत राशि औसत बकाया 3,623 करोड़ रुपये था ।

स्थायी चलनिधि सुविधाएं

8.21 केवल चलनिधि समायोजन सुविधा के द्वारा चलनिधि प्रबंध करने के मध्यावधि उद्देश्य के अनुसरण में स्थायी चलनिधि सुविधाओं, जिनमें बैंकों के लिए (i) निर्यात ऋण पुनर्वित्त (इसीआर), (ii) जमानती उधार सुविधा (सीएलएफ) और (iii) प्राधिकृत व्यापारियों के लिए चलनिधि सहायता शामिल हैं को 5 मई 2001 से (i) सुविधा के अंतर्गत कुल सीमा की दो तिहाई राशि बैंक दर पर देने की उपलब्ध सामान्य सुविधा और (ii) शेष एक तिहाई राशि को चलनिधि समायोजन सुविधा की नीलामियों में रिवर्स रिपो निर्दिष्ट दर से एक प्रतिशत अंक अधिक या रिवर्स रिपो दरों के न होने की स्थिति में रिपो दर से 2-3 प्रतिशत अंक अधिक या जब रिपो प्राप्त/स्वीकृत नहीं हुई तब राष्ट्रीय शेयर बाजार - मुंबई इंटर बैंक आफर रेट से 1-3 प्रतिशत अंक अधिक की दैनिक परिवर्तनशील दर पर उपलब्ध 'बैक - स्टाप' सुविधा के रूप में विभाजित की गई (सारणी 8.4)।

जमानती ऋण सुविधा

8.22 जमानती ऋण सुविधा के अंतर्गत प्रत्येक बैंक को उपलब्ध चलनिधि सहायता की मात्रा, जिसके अंतर्गत उन्हें सांविधिक चलनिधि अनुपात की आवश्यकता से अधिक भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों / खज़ाना बिलों के धारण की जमानत पर चलनिधि दी जाती है, को 1997-98 में उसकी पाक्षिक औसतन बकाया सकल जमाराशि के 0.125 प्रतिशत निर्धारित किया है । इस प्रणाली की 657 करोड़ रुपये की समग्र सीमा की तुलना में 2001-02 में इस सुविधा का औसतन उपयोग 124 करोड़ रुपये का रहा (चार्ट VIII.5) ।

सारणी 8.4 : बैंकों के लिए स्थायी पुनर्वित्त सुविधाओं को युक्ति संगत बनाना

निम्नलिखित तारीख से प्रभावी	उपाय
1	2
8 फरवरी 1996	अमरीकी डालरों में मूल्यवर्गीकृत पोत-लदानोत्तर ऋण के मुकाबले पुनर्वित्त योजना 8 फरवरी 1996 से प्रभावी वापस ली गई । फिर भी, पात्र पोत-लदानोत्तर ऋण सुविधा के मुकाबले पुनर्वित्त सम्बन्धित नियत तिथियों तक चालू रहने की अनुमति थी । बैंकों को निर्यात ऋण पुनर्वित्त के मुकाबले रुपया मूल्यवर्गीकृत ऋण मात्र प्रदान हुआ ।
6 जुलाई 1996	सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर पुनर्वित्त सुविधा वापस ले ली गई ।
26 अप्रैल 1997	सामान्य पुनर्वित्त सुविधा शुरू की गई।
22 सितंबर 1998	ऐसी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की अप्रत्याशित चलनिधि समस्याओं से निपटने के लिए विशेष चलनिधि सुविधा 22 सितंबर 1998 से 31 मार्च 1999 तक दी गई जो अस्थायी रूप में रिसर्जंट इंडिया बाण्ड (आरआइबी) के बदले में प्राप्त रुपये रिज़र्व बैंक द्वारा खुले बाजार परिचालनों के माध्यम से बेची गई सरकारी प्रतिभूतियों में लगा रहे थे।
21 अप्रैल 1999	सामान्य पुनर्वित्त सुविधा रद्द की गई और उसके स्थान पर 1997-98 में पाक्षिक औसतन बकाया सकल जमाराशियों के 0.25 प्रतिशत तक जमानती उधार सुविधा (सीएलएफ) शुरू की गई जो बैंक दर पर दो सप्ताह के लिए उपलब्ध करायी गई थी। बैंक दर + 2 प्रतिशत पर जमानती उधार सुविधा की समकक्ष राशि की अतिरिक्त जमानती उधार सुविधा एसीएलएफ उपलब्ध करायी गई। दो सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए ली गई जमानती उधार सुविधा और अतिरिक्त जमानती उधार सुविधा अतिरिक्त दो सप्ताहों के लिए 2 प्रतिशत के दंडात्मक ब्याज के अधीन थी।
1 दिसंबर 1999	शताब्दी की तारीख बदलने के संदर्भ में बैंक किसी अप्रत्याशित अतिरिक्त मुद्रा की मांग पूरी कर सकें, इसलिए 1 दिसंबर 1999 से 31 जनवरी 2000 तक विशेष चलनिधि सहायता सुविधा दी गई।
5 जून 2000	चलनिधि समायोजन सुविधा को लागू करने से अतिरिक्त जमानती उधार सुविधा रद्द की गई।
5 मई 2001	निर्यात ऋण पुनर्वित्त और जमानती उधार सुविधा लगभग 2:1 अनुपात में दो भागों में विभाजित की गई अर्थात कुल सीमा के दो तिहाई तक बैंक दर पर उपलब्ध सामान्य सुविधा और नियमित चलनिधि समायोजन सुविधा नीलामियों । एन एसई - एम आइ बी ओ आर के निर्दिष्ट दर से सम्बद्ध दैनिक परिवर्तनशील दर पर उपलब्ध कुल सीमा की एक तिहाई बॅक-स्टाप सुविधा ।
5 अक्तूबर 2002	जमानती उधार सुविधा 5 अक्तूबर से शुरू होनेवाले पखवाड़े से पूर्णतः समाप्त कर दी जाएगी ।

चार्ट VIII.5: जमानती ऋण सुविधा का उपयोग

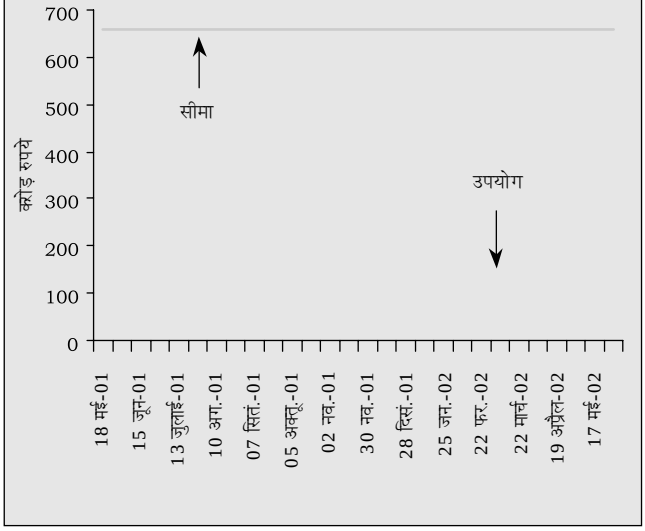

8.23 अंतर बैंक रिपो बाजार के क्रमिक विकास और भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआइएल) के परिचालन के साथ ही यह निर्धारित किया गया है कि 27 जुलाई 2002 से शुरू होनेवाले पखवाड़े से 50 प्रतिशत की कटौती की जायेगी और 5 अक्तूबर 2002 से शुरू होनेवाले पखवाड़े तक इसे पूर्णतः समाप्त किया जायेगा। तथापि, भविष्य में चलनिधि समायोजन सुविधा फिर से लागू करने का विकल्प खुला रखा गया है।

निर्यात ऋण पुनर्वित्त

8.24 अनुसूचित बैंकों को 5 मई 2001 से दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंत में पुनर्वित्त के लिए पात्र बकाया निर्यात ऋण के 15.0 प्रतिशत अथवा 4 मई 2001 की विद्यमान सीमाओं से जो भी अधिक हो उस सीमा तक निर्यात ऋण पुनर्वित्त दिया गया। आधार वर्ष पर पुनर्वित्त के लिए पात्र बकाया निर्यात ऋण में वृद्धि पर आधारित पूर्ववर्ती फार्मूला बैंकों द्वारा निर्यातकों को दी जा रही कुल ऋण सहायता की मात्रा विशेषतः ऐसे मामलों में परिलक्षित नहीं होती है, जहां आधार स्तर ऊंचा है। 4 मई 2001 को विद्यमान सीमा 31 मार्च 2002 तक किसी बैंक की उपलब्ध न्यूनतम सीमा बनी है। 1 अप्रैल 2002 से पिछले पखवाड़े के अंत की स्थिति के अनुसार अनुसूचित बैंकों को पुनर्वित्त के लिए पात्र उनके बकाया निर्यात ऋण के 15 प्रतिशत तक निर्यात ऋण पुनर्वित्त दिया जा रहा है ।

8.25 बकाया निर्यात ऋण 23 मार्च 2001 के 45,387 करोड़ रुपये से घटकर 22 मार्च 2002 को 43,123 करोड़ रुपये रह गया तथा इसी अवधि में निवल बैंक ऋण में उसका अंश भी 8.9 प्रतिशत से घटकर 7.4 प्रतिशत रह गया (परिशिष्ट सारणी III.10)। तदनुसार, पुनर्वित्त के लिए पात्र बकाया निर्यात ऋण जो 23 मार्च 2001 को 38,765 करोड़ रुपये था, घटकर 22 मार्च 2002 को 35,461 करोड़ रुपये हो गया। 26 जुलाई 2002 को बकाया निर्यात ऋण 47,166 करोड़ रुपए तक बढ़ गया तथा साथ ही पुनर्वित की पात्रता बढ़कर रु. 38,014 करोड़ रुपये हो गयी। इस तरह से निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमा जो 23 मार्च 2001 के 7,192 करोड़ रुपये के स्तर से बढ़कर 29 जून 2001 को 9,221 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गई थी, फार्मूले में परिवर्तन होने से बाद में घटकर 22 मार्च 2002 को 9,086 करोड़ रुपये की रह गई जो निर्यात क्षेत्र में सामान्य मन्दी चाल को दर्शाता है। यह प्रथम अप्रैल 2002 से प्रभावी सूत्र में और एक परिवर्तन के कारण 26 जुलाई 2002 को रु. 5,702 करोड़ तक घटा। निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा का दैनिक औसतन उपयोग 2001-02 के दौरान 9,014 करोड़ रुपये की सीमा की तुलना में औसत आधार पर 3,793 करोड़ रुपये के उपयोग से कम स्तर पर ही रहा (चार्ट VIII.6)।

8.26 रिज़र्व बैंक ने 24 सितंबर 2001 को 1 अक्तूबर 2001 से एक वर्ष की अवधि के लिए विशेष वित्तीय पैकेज की घोषणा की है ताकि अंतर्राष्ट्रीय रूप में प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर बैंक ऋण उपलब्ध कराया जा सके। निर्यातकों को पोतलदान पूर्व तथा पोतलदानोत्तर स्थितियों में सामान्य निर्यात ऋण के लिए लागू क्रमशः 270 दिन और 180 दिन की अधिकतम अवधि की तुलना में 365 दिन तक की अवधि के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। इसके अलावा, पोतलदानपूर्व स्थिति में 270 दिन से अधिक और 365 दिन तक की अवधि के लिए दिए गए निर्यात ऋण की ब्याज दर 180 दिन से अधिक और 270 दिन तक की अवधि के लिए सामान्य पोतलदानपूर्व ऋण पर लागू दर के समान है। इसी तरह, 180 दिन से अधिक और 365 दिन तक की अवधि के लिए सामान्य पोतलदानोत्तर ऋण पर 90 दिनों से 180 दिनों तक लागू ब्याज दर के समान है।

चार्ट VIII . 6 : निर्यात ऋण पुनर्वित्त का उपयोग

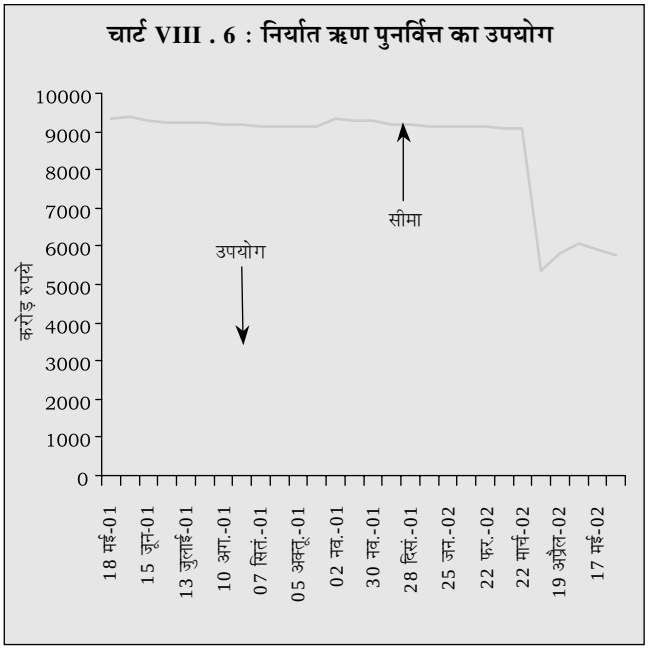

8.27 जनवरी 2002 में बैंकों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए। जिसके अंतर्गत कृषि निर्यात मंडलों को कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयोजन से किमानों को खरीद और निविष्टियों की आपूर्ति के लिए पैकिंग ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

खुले बाजार परिचालन

8.28 एकमुश्त खुली बाजार बिक्रियों के माध्यम से दीर्घावधि में चलनिधि का प्रबंध किया गया ताकि रिज़र्व बैंक के साथ सरकारी प्रतिभूतियों के निजी स्थानन का मौद्रिक प्रभाव न रहे तथा साथ ही विदेशी पूंजी प्रवाह भी निष्प्रभावी रहें (सारणी 8.5)। रिज़र्व बैंक के प्रारंभिक अभिदान की राशि अप्रैल-जून 2001 के दौरान 21,000 करोड़ रुपये रही, जबकि अप्रैल-जून 2000 के दौरान यह राशि 6,961 करोड़ रुपये थी। अप्रैल-जून 2000 के दौरान के 2,025 करोड़ रुपये की तुलना में अप्रैल-जून 2001 के दौरान की गयी 10,929 करोड़ रुपये की निवल खुली बाजार बिक्री से मौद्रिक प्रभाव अंशतः प्रति संतुलित हुआ। उसके बाद प्रणाली में विद्यमान अतिरिक्त चलनिधि को खपाने के लिए खुले बाजार में बिक्री की गई। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद भारतीय बाजार में हुई प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं के कारण रिज़र्व बैंक के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वह सरकारी प्रतिभूति बाजार के प्रति विश्वास बनाए रखने और चलनिधि उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभिक रूप में दैनिक और बाद में साप्ताहिक रूप में 18 सितंबर 2001 से 3 अक्तूबर 2001 तक नीलामियों की शृंखला द्वारा सभी परिपक्वता अवधि वाली प्रतिभूतियों की खरीद में अधिक सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करें। सरकारी प्रतिभूति बाजार में रिज़र्व बैंक की सहभागिता अनिवार्यतः बाजार निर्माता के बजाये बाजार स्थिरकर्ता की रही। वर्ष 2001-02 के दौरान 18 सितंबर से 3 अक्तूबर 2001 तक की अवधि के दौरान 5,084 करोड़ रुपये की कुल खुले बाजार में खरीद की गई। 3,213 करोड़ रुपये का निजी स्थानन मार्च 2002 से प्रभावी रहा जो अनिवार्य रूप से दीर्घावधि सरकारी बाण्डों के बदले राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि प्रवर्तन) के अंतर्गत विकास वित्तीय संस्थाओं को दिए गए ऋण और अग्रिमों का स्वैप (विनिमय) था और इसलिए इससे प्रसार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

8.29 वर्ष 2002-03 की शुरुआत प्रचुर चलनिधि के साथ हुई। 2002-03 के दौरान (17 अगस्त 2002) तक रिज़र्व बैंक ने 20,583 करोड़ रु. की खुले बाजार परिचालन की बिक्री संचालित की।

ऋण वितरण

8.30 नब्बे के दशक से ऋण वितरण प्रणालियों में सुधार लाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है ताकि संस्थागत ऋण की कुल मात्रा को बढ़ाया जा सके और समाज के विशिष्ट वर्गों एवं क्षेत्रों के अनुसार ऋण बाजार के विशेषतः कमजोर बोलीकर्ताओं को ऋण उपलब्धता का न्यायसंगत वितरण हो सके। इसका समसामयिक उद्देश्य है वसूलियों में ठोस सुधार लाना, प्रक्रिया में देरी को कम करना एवं बैंकों को बृहतर लचीलापन प्रदान करना।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार

8.31 वर्ष के दौरान कृषि-क्लिनिकों और कृषि कारोबारी केंद्रों (कृषि को अप्रत्यक्ष वित्त) के वित्तपोषण तथा लघु और सीमांत किसानों को भूमि की खरीद के वित्तपोषण (कृषि को प्रत्यक्ष वित्त) को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार में शामिल करने के लिए इसकी व्याप्ति बढ़ाई गई। सभी देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, जिनके प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिए गए उधार में कमी थी, को सूचित किया गया कि वे प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिए जानेवाले ऋण में सुधार लाने के लिए उचित उपाय

सारणी 8.5 : रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी आस्तियां, केन्द्र को निवल रिज़र्व बैंक ऋण, बाज़ार उधार को रिज़र्व बैंक का प्रारंभिक समर्थन और खुले बाजार परिचालन

(करोड़ रुपये)

माह तक	रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी आस्तियां* (संचयी)			केंद्र को निवल रिज़र्व बैंक ऋण (संचयी)			रिज़र्व बैंक का प्रारंभिक अंशदान (संचयी)			रिज़र्व बैंक निवल खुली बाज़ार परिचालन बिक्री (संचयी)		
	2002-03	2001-02	2000-01	2002-03	2001-02	2000-01	2002-03	2001-02	2000-01	2002-03	2001-02	2000-01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अप्रैल	3,076	794	1,753	11,976	5,067	13,507	0	12,000	0	5,307	60	36
मई	5,470	2,341	779	13,814	20,774	11,077	20,018	12,000	515	6,831	5,083	36
जुन	9,209	7,107	-4,484	1,455	19,523	14,393	22,018	21,000	6,961	7,020	10,929	2,025
जुलाई	18,369	6,600	-5,413	9,577	11,849	17,479	23,175	21,000	19,506	13,558	16,020	7,991
अगस्त		10,550	-6,960		5,828	8,481		21,679	25,506		16,056	7,126
सितंबर		9,121	-6,605		-617	8,168		21,679	29,776		24,914	8,460
अक्तूबर		12,486	-7,352		4,268	24,359		21,679	30,151		22,275	8,527
नवंबर		21,206	3,121		11,225	14,154		25,679	30,151		22,321	20,063
दिसंबर		27,242	12,816		-5,386	3,041		25,679	31,151		30,187	21,764
जनवरी		34,811	18,178		97	6,360		25,679	31,151		30,270	21,851
फरवरी		39,765	22,347		-2,479	6,932		25,679	31,151		30,293	21,852
मार्च		57,994	27,201		-5,150	6,705		28,892	31,151		30,335	21,892

टिप्पणी : आंकड़े मार्च के लिए 31 मार्च के और अन्य सभी महीनों के लिए सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार के हैं।

* विदेशी मुद्रा आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन घटाकर।

करें ताकि लक्ष्य / उप-लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें । प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत सम्बद्ध गतिविधियों की निविष्टियों के लिए दिए जानेवाले वित्तपोषण की सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की गई। फसलों के विपणन (गिरवी के साथ वित्तपोषण) के लिए किसानों को दिए जानेवाले ऋण की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई और ऐसे ऋणों की चुकौती अनुसूची पहले के 6 महीनों से बढ़ाकर 12 महीने की गई । दोहरी गणना से बचने के लिए प्रायोजक बैंकों से अपेक्षित है कि वे लक्ष्य की पूर्ति करते समय प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को आगे उधार देने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दी गई निधियों को छोड़ दें ।

8.32 जहां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और (विदेशी बैंकों) ने समूह के रूप में समग्र लक्ष्य-अर्थात निवल बैंक ऋण का क्रमशः 40 प्रतिशत और 32 प्रतिशत प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को देने का लक्ष्य प्राप्त किया, वहीं निजी क्षेत्र के बैंक निर्धारित 40 प्रतिशत के लक्ष्य से पिछड़ गए (सारणी 8.6) । सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के जिन बैंकों द्वारा मार्च 2002 के अंत में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिए गए उधार में कमी आती है, उन्हें नाबार्ड में स्थापित ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि (आरआइडीएफ) की निधि निकाय (कॉर्पस) में अंशदान करने का निदेश दिया गया । वर्ष 2002-03 के लिए केन्द्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार 5,500 करोड़ रुपये की निधि निकाय (कॉर्पस) के साथ नाबार्ड में आरआइडीएफ-VIII स्थापित की जा रही है । आरआइडीएफ I से VI तक की योजनाओं में निधि में रखी जमाराशियों पर ब्याज दर सभी बैंकों के लिए एक समान ही थी, चाहे उनकी कमी कितनी भी क्यों न हो । आरआइडीएफ VII से आरआइडीएफ जमाराशियों पर दी जानेवाली ब्याज दर कृषि को उधार के क्षेत्र में बैंक के कार्यनिष्पादन के साथ सम्बद्ध की गई है । तदनुसार, बैंकों को कृषि को दिए गए उधार में उनकी जितनी कमी है उसी के विपरीत अनुपात की ब्याज दर से ब्याज मिल रहा है । ऐसे विदेशी बैंक जिनके द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य प्राप्त करने में मार्च 2002 के अंत में कमी आती है, उन्हें भारतीय लघुऔद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) के पास एक वर्ष के लिए जमाराशि रखनी होगी ।

सारणी 8.6 : प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम

(राशि करोड़ रुपये में)

सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक
1	2	3	4
मार्च 1998	91,319 (41.9)	11,614 (40.9)	6,940 (34.3)
मार्च 1999	1,07,200 (43.5)	14,295 (41.3)	8,270 (37.1)
मार्च 2000	1,27,807 (43.6)	18,348 (39.4)	9,699 (34.5)
मार्च 2001	1,46,546 (43.0)	21,550 (38.1)	11,835 (34.1)
मार्च 2002	1,71,185 (43.1)	21,530 * (38.8)	13,414 (34.2)

* सितम्बर 2001 की समाप्ति पर

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित समूहों में निवल बैंक ऋण के प्रति प्रतिशत हैं।
2. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को सकल अग्रिम का लक्ष्य देशी बैंकों के लिए निवल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत और विदेशी बैंकों के लिए निवल बैंक ऋण का 32 प्रतिशत है।

कृषि क्षेत्र को ऋण

8.33 विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी) के अंतर्गत कृषि को सितंबर 2001 तक 12,312 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया गया, जबकि वर्ष के लिए किया गया अनुमान 30,883 करोड़ रुपये का था । यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संबंध में कृषि अग्रिमों की बकाया राशि में वृद्धि हुई है, फिर भी पिछले तीन वर्षों में बैंक ऋण में उनका अंश उल्लेखनीय रूप से नहीं बढ़ा है (सारणी 8.7) ।

सारणी 8.7 : बकाया कृषि अग्रिम

(करोड़ रुपये)

मार्च के अंत में	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक	
	बकाया राशि	निवल बैंक ऋण का प्रतिशत	बकाया राशि *	निवल बैंक ऋण का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1998	34,304	15.7	2,746	9.7
1999	40,078	16.3	3,286	9.5
2000	46,190	15.8	4,481	9.6
2001	53,685	15.7	5,394	9.6
2002	63,083	15.8	उ.न.	उ.न.

* सभी अप्रत्यक्ष अग्रिम शामिल हैं। उ.न. : उपलब्ध नहीं

नोट : 1 घरेलू बैंकों के लिए कृषि हेतु अग्रिम देने का लक्ष्य निवल बैक ऋण का 18 प्रतिशत है ।
2 कृषिगत उधारों के आकलन के प्रयोजन से कृषि के अप्रत्यक्ष वित्त में निवल बैंक ऋण को केवल 4.5 प्रतिशत को लिया जाता है ।

8.34 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा की गई अग्रिमों की वसूली पिछले दो वर्षों में लगभग 70 प्रतिशत पर स्थिर रही है (सारणी 8.8) ।

सारणी 8.8: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक-प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली

(करोड़ रुपये)

जून को समाप्त वर्ष	मांग	वसूली	अतिदेय	मांग के प्रति वसूली का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1999	18,204	12,337	5,867	67.77
2000	20,216	14,058	6,158	69.54
2001	22,429	15,540	6,889	69.28

8.35 कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों को दिए गए अल्पावधि ऋण में नब्बे के दशक में अस्सी के दशक की तुलना में उच्चतर वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज की गई (चार्ट VIII.7)। मध्यावधि/दीर्घावधि ऋणों की वृद्धि दर की प्रवृत्ति, जो कृषि में पूंजी निर्माण के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण है, में मामूली सुधार देखा गया। कृषि ऋणों के संमिश्रण में आए परिवर्तन से मध्यावधि / दीर्घावधि ऋणों के संबंध में, जिनमें ऋण और बाजार जोखिम अधिक होता है, बैंकों द्वारा जोखिम उठाने में अनिच्छा दिखायी दी।

चार्ट VIII.7 : कृषि और संबद्ध कार्यकलापों को जारी ऋणों की प्रवृत्तिगत वृद्धि दरें (प्रत्यक्ष वित्त)

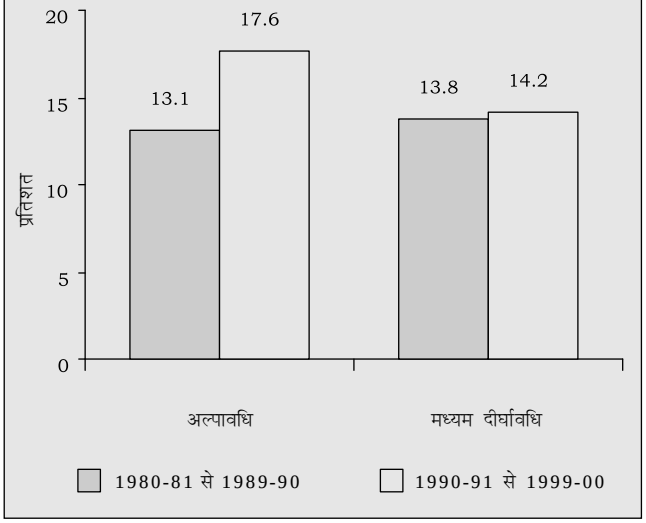

8.36 वाणिज्यिक बैंकों के कृषि क्षेत्र को प्रत्यक्ष अग्रिमों में वृद्धि बड़े उधारकर्ताओं (2 लाख से अधिक की ऋण सीमा) के पक्ष में रही जो कृषि क्षेत्र में आय और आस्ति वितरण में असमानताओं को परिलक्षित करते है (चार्ट VIII.8)।

किसान क्रेडिट कार्ड

8.37 वर्ष 2002-03 के केन्द्रीय बजट में की गई घोषणाओं के अनुसरण में, बैंकों को निदेश दिया गया है कि वे मार्च 2004 तक कृषि क्षेत्र के सभी उपयुक्त उधारकर्ताओं को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी करें। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 31 मार्च 2002 तक 74.49 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए। किक्रेका से संबद्ध वैयक्तिक बीमा पैकेज का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है।

गुजरात दंगों के लिए विशेष पैकेज

8.38 गुजरात के दंगों में प्रभावित व्यक्तियों के लिए एक विशेष राहत पैकेज तैयार किया गया तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) संयोजकों के जरिए बैंकों को निदेश दिया गया कि वे प्रभावित व्यक्तियों के उपयुक्त तथा समय पर राहत उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाएं।

चार्ट VIII.8 : 1991 से 2001 तक में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कृषि क्षेत्र को अग्रिमों (प्रत्यक्ष वित्त) के खाते तथा बकाया राशि

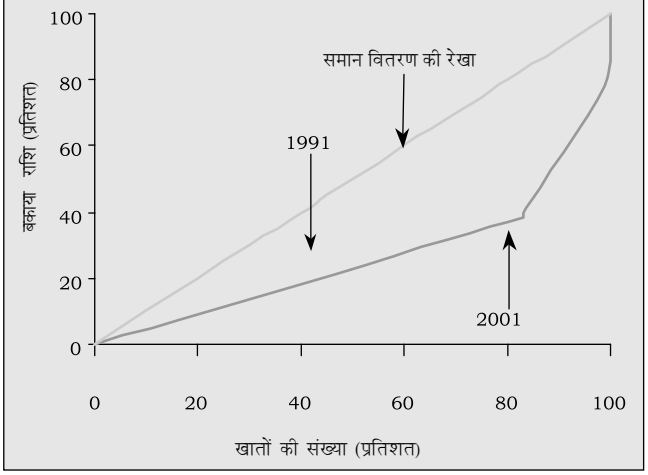

महिलाओं को ऋण

8.39 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निदेश दिया गया है कि वे मार्च 2004 के अंत तक महिलाओं के लिए अपने निवल बैंक ऋण का 5 प्रतिशत निर्दिष्ट करें। मार्च 2002 के अंत तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संविभागीय ऋणों में महिलाओं के लिए ऋण का कुल प्रतिशत उनके निवल बैंक ऋण का 3.25 प्रतिशत था।

लघु क्षेत्र के उद्योगों को ऋण

8.40 आरम्भिक चरण में रुग्णता की पहचान तथा लघु क्षेत्र के चुनिंदा संभाव्य रूप से व्यवहार्य उद्योगों की पुनर्व्यवस्था के प्रयोजन से सुधारात्मक उपाय करने के लिए विस्तृत दिशानिदेश जारी किए गये । जब किसी उद्योग (इकाई) का कोई उधार खाता 6 महीने से अधिक समय से अवमानक रहता है अथवा पिछले लेखा वर्ष के दौरान निवल मूल्य में कमी आ गयी हो तथा वह उद्योग कम-से-कम दो वर्षों से वाणिज्यिक उत्पादन में संलग्न रहा हो तो उसे रुग्ण माना जाता है। पुनर्वास पैकेज को कार्यान्वित करते हुए बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं को छह महीने की अवधि तक. 'धारिता संबंधी कार्य संचालित करने को कहा गया ताकि ऐसी. 'धारिता संबंधी कार्य' की अवधि के दौरान लघु क्षेत्र की इकाइयों (उद्योगों) को कम से कम बिक्री से प्राप्त आय जमा की सीमा तक नकदी ऋण खाता से निधि प्राप्त करने की अनुमति दी जा सके। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को अनुमति दी कि वे अच्छे निष्पादन वाले तथा अच्छी वित्तीय स्थितिवाली इकाइयों को संपार्श्विक आवश्यकताओं वाले ऋण के वितरण की सीमा 5 लाख के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 15 लाख कर दें।

8.41 मार्चांत 2002 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु क्षेत्र के उद्योगों को उपलब्ध कराया गया कुल ऋण निवल बैंक ऋण का

12.5 प्रतिशत तथा इन बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिमों का 29.1 प्रतिशत था (सारणी 8.9) । लघुक्षेत्र उद्योगों को उपलब्ध कराए गए कुल अग्रिमों में से कुटीर उद्योगों, कारीगरों, अत्यंत लघु उद्योगों का 27,030 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए जो लघु क्षेत्र उद्योग को अग्रिमों का 54.3 प्रतिशत है ।

8.42 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निदेश दिया गया कि वे प्रत्येक जिला तथा लघु उद्योग के समूह वाले केन्द्रों पर कम-से कम एक विशिष्ट लघु उद्योग शाखा के परिचालन के लिए समेकित प्रयास करें । मार्च 2002 की समाप्ति तक बैंकों द्वारा 395 विशिष्ट एसएसआई शाखाओं का परिचालन शुरू किया गया है ।

सारणी 8.9 : लघु उद्योग को दिए गए अग्रिम

(राशि करोड़ रुपए में)

अंतिम सूचना देने के लिए नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक
1	2	3	4
मार्च 1998	38,109 (17.5)	5,849 (20.6)	2,084 (10.3)
मार्च 1999	42,674 (17.3)	6,493 (18.8)	2,460 (11.0)
मार्च 2000	45,788 (15.6)	7,313 (15.7)	2,872 (10.2)
मार्च 2001	48,445 (14.2)	8,158 (14.4)	3,716 (10.7)
मार्च 2002	49,743 (12.5)	अनु.	4,561 (11.6)

अनु. : अनुपलब्ध

टिप्पणी :1. कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित समूहों में निवल बैंक ऋण के प्रति प्रतिशत को दर्शाते है।

2. देशी बैंकों के लिए लघु उद्योग के अग्रिम के प्रयोजन से कोई लक्ष्य नहीं है, जबकि विदेशी बैंकों के लिए लक्ष्य निवल बैंक ऋण का 10 प्रतिशत है।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को ऋण

8.43 1000 करोड़ रुपए की सहायता संघ योजना जारी है जिसके अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग को ऋण प्रदान करने के लिए चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों का एक संघ भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में गठित किया गया है । ये ऋण संघ के पाँच बड़े बैंकों के उच्चतर ब्याज दर के औसत से 1.5 प्रतिशत नीचे की दर पर प्रदान किए जाते हैं । जून 2002 के अंत में इस योजना के अंतर्गत संघ द्वारा संवितरित 738 करोड़ रुपए में से 374 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी ।

विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) योजना

8.44 विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बकाया अग्रिम राशि मार्च 2001 के अंत में 5.8 लाख उधार खातों में 362.5 करोड़ से कम होकर मार्च 2002 के अंत में 6.1 लाख उधार खातों में 351.1 करोड़ रुपए की रह गई । मार्च 2002 के अंत में बैंकों के विभेदक ब्याज दर अग्रिम मार्च 2001 के अंत के कुल बकाया अग्रिमों का 0.1 प्रतिशत थे जो 1.0 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी कम हैं ।

सहकारी संस्थाएं

8.45 सहकारी ऋण व्यवस्था के अध्ययन और इसे सुदृढ़ करने के उपाय के लिए भारत सरकार द्वारा एक कार्यदल (अध्यक्ष : श्री जगदीश कपूर) का गठन किया गया था । अगस्त 2001 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इस कार्यदल की सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया गया । इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप सितम्बर 2001 में सरकार ने श्री विखे पाटिल, पूर्व वित्त राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति का गठन इस कार्यदल की सिफारिशों पर और विचार-विमर्श करने के लिए किया। इस संयुक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशें अब विचाराधीन हैं । वर्ष 2002-2003 के केन्द्रीय बजट में केन्द्र सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं के पुनरुद्धार के प्रयोजन से 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ।

व्यष्टि ऋण

8.46 ऋण वितरण के सामाजिक रूप में महत्त्वपूर्ण और वाणिज्यिक रूप से आकर्षक प्रणाली (विधि) के रूप में व्यष्टि ऋण की संभावनाओं के प्रति राज्यों को संवेदनशील (जागरूक) बनाने के प्रयोजन से और अधिक ध्यान केन्द्रित करने के लिए प्रभावी 'गरीबी उन्मूलन', नीति के रूप में वित्तीय मध्यस्थता की संभावनाओं पर बैंकों, राज्य सरकारों, नाबार्ड, सिडबी और प्रमुख गैर-सरकारी संगठनों जैसे सभी प्रमुख सहभागियों के साथ विचार-विमर्श किया गया जा रहा है । इसका अभिप्राय प्रभावी व्यष्टि वित्त डिलीवरी (संवितरण) हस्तक्षेप के डिज़ाइन और कार्यान्वयन में सम्मिलित घटकों को उपयुक्त व्यष्टि ऋण संवितरण प्रणाली में एकीकृत करना तथा उपयुक्त रीति से प्रतिसाद नीतियों (सोपानों) को बेहतर बनाना है । पूरे देश में लगभग 1,00,000 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां हैं तथा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का स्वयं सहायक संवर्धन संस्थाओं (एसएचपीआई) के रूप में उपयोग की अपार संभावनाओं के मदेनजर राज्य सहकारी बैंकों (रासबैं) से अनुरोध किया गया हैं कि वे एसएचजी - बैंक संपर्क के प्रभावी प्रतिमानों (मॉडलों) को लागू करने, प्राकृससं का व्यष्टि वित्त सरणि के रूप में विकास करने पर विचार करें ।

स्थानीय क्षेत्रीय बैंक

8.47 1999 में एक स्थानीय क्षेत्रीय बैंक को तथा 2000 में ऐसे चार बैंकों को लाइसेंस प्रदान किया गया । इनमें से एक स्थानीय क्षेत्रीय बैंक का लाइसेंस 2002 के दौरान रद्द कर दिया गया । 31 मार्च 2002 की स्थिति के अनुसार इन स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों की कुल जमाएं 88.68 करोड़ रुपए तथा उनके अग्रिम 64.27 करोड़ रूपए के थे (सारणी 8.10) ।

सारणी 8.10 : स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों के जमा और अग्रिम

(करोड़ रुपए)

मद/दिनांक	मार्च 2002	दिसम्बर 2001	सितंबर 2001	जून 2001
1	2	3	4	5
जमा	88.68	86.80	72.95	64.20
अग्रिम	64.27	64.11	55.13	45.95

बैंक लोकपाल योजना

8.48 बैंक लोकपाल योजना, 2002 की अधिसूचना जून 2002 में निकली । संशोधित योजना में समीक्षा प्राधिकरण की स्थापना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) को शामिल करने के लिए योजना की सीमा बढ़ाने का प्रावधान है तथा 10.0 लाख रुपए तक की राशि वाले मामले में मध्यस्थता का कार्य बैंक लोकपाल को देने का भी प्रस्ताव है ।

आवास वित्त

8.49 आवास क्षेत्र में ऋण प्रवाह में और सुधार के मद्देनजर आवासीय गृह संपत्तियों संबंधी बैंक ऋणों पर जोखिम भार पहले के निर्धारित सौ प्रतिशत से कम करके पचास प्रतिशत कर दिया गया तथा राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पर्यवेक्षित आवास वित्त कम्पनियों द्वारा आवासीय आस्तियों के बंधक-समर्थित जमानतों (एमबीएस) में निवेश को भी पचास प्रतिशत जोखिम भार दिया गया है । बंधक समर्थित जमानतों में बैंकों द्वारा आवास वित्त में पूँजीनिवेश के लिए 3 प्रतिशत वृद्धिशील जमाओं के निर्धारित आबंटन में शामिल करने के प्रयोजन से गणना करने की अनुमति दी गयी है ।

बैंक ऋण की सुपुर्दगी के लिए ऋण व्यवस्था

8.50 रिज़र्व बैंक ने बैंक ऋण के लिए ऋण व्यवस्था के संबंध में दिशा-निदेशों की समीक्षा की । 25 अक्तूबर 2001 से 10 करोड़ रुपए और उससे अधिक की कार्यशील पूँजी की सीमा के लिए बैंकों को छूट है कि वे 20 प्रतिशत से अधिक नकदी ऋण घटक में वृद्धि के जरिए, जैसी भी स्थिति हो, कार्यशील पूँजी की संरचना में परिवर्तन कर सकते हैं । बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे अपनी नकदी तथा चलनिधि प्रबंधन पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कार्यशील पूँजी वित्त के दोनों घटकों यथा- नकदी ऋण और उधार घटकों में से प्रत्येक का समुचित मूल्य निर्धारित करें ।

बुनियादी सुविधा वित्त पोषण

8.51 बुनियादी सुविधा परियोजनाओं के वित्त पोषण संबंधी परिचालनात्मक दिशानिदेश 23 अप्रैल, 1999 को बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को जारी किए गए जिसमें बुनियादी सुविधा परियोजनाओं के वित्तपोषण में सम्मिलित महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे वित्त पोषण के मानदंड, मूल्यांकन, विनियामक अनुपालन / चिंताएं, प्रशासनिक व्यवस्था तथा अंतर-संस्थागत गारंटी के महत्त्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट किया गया है ।

8.52 फरवरी 2002 से सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा शुरू की गई बुनियादी सुविधा परियोजनाओं के संबंध में, जिनका आवधिक ऋणों अथवा उनके द्वारा जारी किए गए बाण्डों में निवेश के जरिए वित्तपोषण किया जाता है, अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों / वित्तीय संस्थानों से यह अपेक्षित है कि वे संसाधनों के समुचित उपयोग तथा वित्त-पोषित परियोजनाओं की ऋणपात्रता सुनिश्चित करने के लिए ऐसी परियोजनाओं की अर्थक्षमता और बैंकग्राह्यता संबंधी उपयुक्त जानकारी प्राप्त करें । बैंकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि वे संतोषजनक साख निर्धारण को राज्य सरकार गारंटियों से प्रतिस्थापित न करें तथा वित्तपोषित परियोजनाओं का समुचित ऋण मूल्यांकन और सख्त निगरानी की जानी चाहिए। बैंकों, वित्तीय संस्थानों से यह भी अपेक्षित है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के दिए गए ऋण / उनमें किए गए निवेश राज्य सरकारों के बजट के वित्तपोषण के लिए उपयोग में न लाये जाएं । बुनियादी सुविधा परियोजनाओं के संबंध में बैंकों को यह अनुमति दी गई कि वे अन्य उधार देनेवाली संस्थाओं के पक्ष में गारंटी दें, बशर्ते गारंटी देनेवाला बैंक परियोजना की निधि में परियोजना लागत का कम-से-कम पांच प्रतिशत हिस्सा वहन करता है तथा परियोजना का सामान्य ऋण निर्धारण, निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करता है ।वर्तमान में सड़क, बिजली, दूरसंचार तथा बन्दरगाह जैसे चार बुनियादी सुविधा क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए समूह निवेश सीमा में दस प्रतिशत अतिरिक्त निवेश के प्रावधान को बुनियादी सुविधा के सभी क्षेत्रों की परियोजनाओं पर लागू किया गया ।

खाद्य ऋण

8.53 8 अगस्त 2002 की स्थिति के अनुसार बकाया खाद्य ऋण (गेहूं, धान/चावल और मोटे अनाज) 61,332 करोड़ रुपए का था, जबकि 8 अगस्त 2001 को यह 53,219 करोड़ रुपए का था । रिज़र्व बैंक मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत तिलहन और दालों की खरीद के लिए राष्ट्रीय सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड) के लिए भी ऋण की सीमाएं अधिकृत करता है । नेफेड को ऋण केवल भारतीय स्टेट बैंक के जरिए ही संवितरित किए जाते हैं । 8 अगस्त 2002 की स्थिति के अनुसार नेफेड पर 656 करोड़ रुपए का ऋण बकाया है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में लकड़ी और पट्टी (फलक) आधारित उद्योग के वित्तीय सहायता

8.54 पिछले चार वर्षों के दौरान बाह्य परिस्थितियों के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में लकड़ी और पट्टी आधारित उद्योग के कार्यकलाप पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, जिसके फलस्वरूप इस अवधि के दौरान कई इकाइया बंद हो गईं । 22 नवम्बर 2001 को बैंकों को निदेश दिया गया कि वे उद्योग की अर्थक्षम संभावनाओं वाली विनिर्माण इकाइयों

को पुनर्वास पैकेज के जरिए वित्तीय सहायता प्रदान करें । पुनर्वास पैकेज में निधि आधारित ब्याज मीयादी ऋण (एफआईटीएल) तथा नकदी ऋण के अनियमित अंश को कार्यशील पूँजी मीयादी ऋण (डब्ल्यूसीटीएल) में परिवर्तित करके वर्तमान उधारखाते में ब्याज के वसूल न किये गये भाग का निधीयन करना शामिल हैं। एफआईटीएल तथा डब्ल्यूसीटीएल दोनों को 2 वर्ष के अधिस्थगन सहित 7 वर्ष की चुकौती अवधि मिलेगी तथा इन पर सामान्य आवधिक ऋण पर लागू दर से ब्याज दर देना होगा। बैंकों को यह भी निदेश दिया गया है कि वे अपने उधार मानकों के अनुसार उद्योग की विनिर्माण इकाइयों का मूल्यांकन करें तथा नए सिरे से आवश्यकता आधारित कार्यशील पूंजी सहायता प्रदान करें । पैकेज केवल उन इकाइयों पर लागू होगा जिन्हें बैंक संभावित रूप से अर्थक्षम समझे तथा जिन्हें आवधिक ऋण देनेवाले संस्थानों का अनुमोदन प्राप्त हो ।

वर्ष 2002-03 के लिए मौद्रिक नीति की स्थिति

8.55 अप्रैल 2002 में वर्ष 2002-03 के मौद्रिक और ऋण की वृद्धि दर नीति की घोषणा की गई जिसमें वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर 6.0-6.5 प्रतिशत पर तथा मुद्रास्फीति दर 4.0 प्रतिशत से कुछ कम अनुमानित है और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए व्यापक मुद्रा में वृद्धि तथा कुल जमा वृद्धि का सांकेतिक अनुमान प्रत्येक के लिए 14.0 प्रतिशत है। खाद्येतर ऋण (पूंजी बाजार लिखतों में निवेश सहित) में 15.0 से 15.5 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है जो अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करेगी। 2002-03 के लिए केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा सकल देशी उत्पाद का 5.3 प्रतिशत अनुमानित है तथा उधार कार्यक्रम के निर्धारण के फलस्वरूप ऐसा अनुमान है कि समग्र चलनिधि तथा ब्याज दर पर गंभीर दबाव के बिना ही ऋण प्रबंध का संचालन किया जा सकता है। फिर भी हाल के कुछ महीनों में कुछ राज्यों के संबंध में बाजार उधार कार्यक्रम दबाव की स्थिति में है ।

8.56 चलनिधि की सहज स्थिति तथा घटती हुई ब्याज दर परिवेश ने समग्र मौद्रिक स्थिति को वर्तमान में काफी आसान बना दिया है । तथापि, जैसा कि हाल के वर्षों के अनुभव से पुष्टि होती है, पूरे विश्व में वित्तीय बाजारों के वर्तमान एकीकरण की प्रक्रिया, वित्तीय कारोबार में अद्‌भुत वृद्धि, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण तथा नई प्रैद्योगिकी के कारण पूरे विश्व के वित्तीय बाजारों के अप्रत्याशित घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय हलचलों से शीघ्रता से प्रभावित होने जैसे कारकों के कारण मौद्रिक प्रबंधन अब काफी जटिल हो गया है। आर्थिक दशाओं में परिवर्तन के फलस्वरूप उपयुक्त मौद्रिक उपाय करना आवश्यक हो सकता है जो वर्तमान सहज चलनिधि की स्थिति के अनुरूप न हो।

8.57 तदनुसार यदि परिस्थितियों में अप्रत्याशित परिवर्तन नहीं होता है तो रिज़र्व बैंक मध्यम अवधि में घटती हुई ब्याज दर वाली वर्तमान ब्याज दर की व्यवस्था जारी रखेगा। दीर्घावधि उद्देश्य सरकारी तथा निजी क्षेत्र दोनों के सभी प्रकार के ऋण लिखतों पर ब्याज दर का सीमित मात्रा में पुनर्निर्धारण करना होगा। 2002-03 के दौरान समग्र मौद्रिक नीति में निम्नलिखित तथ्यों पर जोर दिया जाएगा : (i) ऋण वृद्धि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त चलनिधि का प्रावधान तथा मूल्य स्तर की गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखते हुए अर्थव्यवस्था में निवेश मांग को सहायता प्रदान करना। (ii) कम ब्याज दर के लिए वरीयता सहित ब्याज दर संबंधी वर्तमान नीति जारी रखना । (iii) मध्यम आवधिक ब्याज दर संरचना में और नमनीयता प्रदान करना ।

8.58 आगामी वर्षों में अधिकतम पारदर्शिता और बाजार व्यवस्था के परिवेश में मौद्रिक नीति के कुशल संचालन का एक प्रमुख घटक मुद्रा बाजार के विभिन्न घटकों का संतुलित विकास है। मांग/नोटिस मुद्रा बाजार से गैर-बैंक सहभागियों को हटाने और रिपो बाजार को सक्रिय बनाना मुद्रा बाजार के भावी विकास के लिए किए गए पहलों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण नीतिगत पहल है। ऐसा अनुमान है कि ये उपाय दूसरे घटकों यथा कम्पनी बाण्ड बाजार, स्वैप बाजार तथा मीयादी मुद्रा बाजार के विकास को सहज बनाएगा। चलनिधि सुविधाओं के युक्तिकरण के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा को चलनिधि समायोजन सुविधा में सम्मिलित करना शामिल है । निर्यात ऋण पर देशी मुद्रा में ब्याज दर के अपविनियमन बैंकों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा तथा निर्यात-ऋण पुनर्वित्त को चरण बद्ध तरीके से समाप्त करना आसान बनाएगा ।

8.59 मध्यमकालिक परिप्रेक्ष्य में ब्याज दर संरचना अधिक नमनीय होनी चाहिए तथा इसे अन्तःवर्ती स्फीतिकारी स्थितियों को परिलक्षित करना चाहिए। अत्यधिक प्रतियोगिता तथा पारदर्शिता के सख्त मानक वाले उभरते हुए परिवेश में बैंकों के लिए उत्पादकता में सुधार लाना, स्थापना लागत कम करना तथा ब्याज दरों की असंगति को दूर करना महत्वपूर्ण है ।

8.60 अल्पावधि ब्याज दरों को स्थिर करने के लिए ताकि माँग मुद्रा दर रिपो रिवर्स रिपो दैनिक दर के लचीले दायरे में बनी रहे, दैनिक आधार पर चलनिधि मूल्यांकन का निर्धारण महत्त्वपूर्ण हो जाता है। दैनिक आधार पर चलनिधि के मूल्यांकन के लिए तथा वित्तीय बाजारों और मौद्रिक नीतिगत उपायों के बीच परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया के मूल्यांकन हेतु एक औपचारिक ढांचा बनाने के लिए प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के परामर्शदात्री समूह के मार्गदर्शन में रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति परिचालनों के मार्गदर्शन के लिए अल्पावधि परिचालनात्मक मॉडल का विकास किया है । व्यापक प्रसार और लोगों की चर्चा के लिए इस मॉडल को बैंक के वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। इस नमूने में मुद्रा प्रतिभूतियों तथा विदेशी मुद्रा, बाजारों में अल्पावधिक दरों को स्थिरत बनाने के उद्देश्य से संभावित परिदृश्यों और वैकल्पिक हस्तक्षेप की नीतियां उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है ।